



प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद अभी द्वारा अण राशि मय ब्याज चुकाने में वक की दिनांक 07.04.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र में निकलते है। उक्त अभी की प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत 2024 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके अगो का ब्याज व अन्य खर्च बकाया 4,68,874/- (अक्षरे चार लाख अड़सठ हजार आठ सौ चौदहतर रुपये मात्र) दिनांक 31.12.02.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/अपीनण के कुल बकाया राशि अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खर्चों को दिनांक 01. मकान स्थित है। अप्रार्थी/अपीनण ने उपलब्ध अण को, बैंक के साथ किये गये अण रास्ता, परिवहन में खाली जाह, उत्तर में राजाराम मीणा तथा दक्षिण में गणेश प्रजापत का टोक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 66.66 वर्गज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में आम सम्पत्ति/अण्ड. पहा 03, बाके राम कम राम पंचायत काबरा तहसील व जिला की स्थिति के एवज में बंधक सम्पत्ति, माया राम मीणा के स्थानित व अधिपत्य की एक उपलब्ध कराया गया था व अप्रार्थी/अपीनण द्वारा प्राप्त किये गये उक्त अण 3,21,668/रुपये (अक्षरे तीन लाख इककीस हजार छ सौ अड़सठ रुपये मात्र) का अण कम्पनी से अण खाला संख्या FITTKR101SBL00006012852 से दिनांक 16.05.2023 से बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता अभी/सहअपी/गारंटर है। अप्रार्थी/अपीनण द्वारा प्रार्थी बैंक/ प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थी/अपीनण Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of प्रार्थी बैंक/कम्पनी के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 02.06.2026

आदेश
अपीनण एण्ड एनकर्समैट ऑफ रियल्टी इन्टरस्ट एक्ट 2002
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 रियल्टी इन्टरेशन एण्ड रिकन्स्रुक्शन ऑफ फाइनेशियल

1. माया राम पुत्र बंदी लाल निवासी कम काबरा तहसील व जिला टोंक राज.
2. सुरली देवी पत्नी मायाराम निवासी कम काबरा तहसील व जिला टोंक राज.

बनाम
बैलाड एस्टेट, मुंबई - 400038
...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)
सीएफएम एस्टेट रिकन्स्रुक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, बेकफील्ड हाउस, स्पॉट रोड,
प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक
43/2026
24.04.2026



जिजा भण्डारे
2022

आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये प्रमाण
नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई प्रमाण
प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आदेश का प्रमाण पत्र प्रेषित किया कि
in his opinion, be necessary.

cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
(1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or
(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section
(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and
District Magistrate shall, on such request being made to him-
thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the
documents relating thereto may be situated of found- to take possession
the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other
such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or
secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any
transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the
secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are
(1)Where the possession of any secured assets is required to be taken by the
creditor in taking possession of secured asset-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured

स्पष्ट प्रमाण है, जो इस प्रकार है.
2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाब
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act
को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and
किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः श्रुति
दिनांक 04.10.2016 के अनुसार श्रुति की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी
6256/2016 पंजाम विभागा मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय
न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या
करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थना द्वारा भुगतान नहीं किया गया।
प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी
प्रावर्ती एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि
गया है।

बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस इमपाद संभालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
तहत उपरोक्त खाते में देय राशि क पुनर्भुगतान हेतु रहन शर्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी
Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के
सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of
गई है। श्रुति द्वारा बचक सम्पत्ति का समूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं

का
का
(टीमा डीपी)
का



आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वहन किया जाएगा।

वहनकर्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाड़े जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के रखने हेतु जिना पुलिस अधीक्षक, टॉक को पर्याप्त पुलिस जाणा मुहैया कराने हेतु निर्णय स्वयंभूत आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कर्मचारी बर्नाय सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी संभम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल डिपॉजिटरी एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिविल डिपॉजिटरी एण्ड सीक्योरिटी एक्ट 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रति तहसीलदार टॉक को भुजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में उल्लेखित अधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।

है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश अधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेशा दर्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1. रहन श्रद्धा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमानुगत आक्षेप प्राप्त होता है तो उक्त सम्पत्ति को आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :
पक्ष के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन श्रद्धा सम्पत्ति को प्रार्थी